प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अख्तर करीम उर्फ अच्छे करिया पुत्र श्री फजल करीम, निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी अख्तर करीम उर्फ अच्छे करिया पुत्र श्री फजल करीम (दिनांक 04.06.2025 तक उम्र 48 वर्ष 09 माह 07 दिन) जो 105/55, घोषियाना, थाना-चमनगंज, जनपद-कानपुर नगर निवासी है। प्रथम केस पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 13.07.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमचा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 1349, 1351/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 7 सी०एल०ए० एक्ट एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 18.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.11.2019 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28.01.2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनाक 04.06.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 19 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष 08 माह 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

द्वितीय केस भैसे खरीदकर लाते समय उससे 100 रु० प्रति जानवर वसूली करने के विवाद को लेकर दिनांक 18.06.2006 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर 02 भाईयों को घायल कर कर दिया, जिनमें से 01 भाई की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-949/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश न्या० सं०-9, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 10.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.08.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष 01 माह 03 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 05 माह की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी दो बार हत्या का अपराध कारित करने एवं भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने को प्रलच्छित होने के कारण जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 04.06.2025 तक बन्दी की 48 वर्ष, 09 माह, 07 दिन की आयु, डबल आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने एवं पुलिस उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अख्तर करीम उर्फ अच्छे करिया (बन्दी संख्या-27027) पुत्र श्री फजल करीम, निवासी जनपद-कानपुर नगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-485/2026/1772(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-संख्या-18523/2025 अख्तर करीम उर्फ अच्छे पुत्र फजल करीम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.2026 के अनुपालन में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मा0 न्यायालय को अवगत कराते हुए सुनवाई तिथि 20.05.2026 को प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।